सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्याः 3372 / 1024 / 2015 दिनांकः— 20.01.2017

के मामले में

श्री कृष्ण कान्त, D705
ईमेल <krishnayadav.kk.5042@gmail.com> ..... शिकायतकर्ता

बनाम

मंडल रेल प्रबन्धक (कार्मिक), D706
कार्यालय मंडल रेल प्रबन्धक,
उत्तर रेलवे,
मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ..... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 22.12.2016

उपस्थितः
1. श्री कृष्ण कान्त, शिकायतकर्ता ।
2. श्री कृष्ण कान्त, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्री कृष्ण कान्त, 60 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत उनको निम्न ग्रेड पे पर समायोजित करने से संबंधित दिनांक 24.12.2014 का शिकायत पत्र प्रस्तुत किया ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि वह शाहजहांपुर स्टेशन पर वरिष्ठ टिकट परीक्षक के पद पर ग्रेड पे 2400/— रूपए में कार्यरत था । उसका दिनांक 16.12.2010 को डयूटी के दौरान गाड़ी संख्या 2369UP से दुर्घटना ग्रस्त होने के कारण चिकित्सा के दौरान प्रार्थी का बांया पैर घुटने के नीचे काट दिया गया तथा दिनांक 04.04.2011 को मण्डलीय चिकित्सा अधिकारी, शाहजहांपुर डयूटी के लिए फिट किया गया । प्रार्थी ने टांग कटने के उपरान्त दिनांक 05.04.2011 से दिनांक 29.11.2012 तक टिकट चेकिंग कोटि में ही वरिष्ठ टिकट परीक्षक के पद पर कार्य किया है । इसमें प्रार्थी को कोई भी असुविधा नहीं होती थी । शिकायतकर्ता दुर्घटना उपरान्त भी 05.04.2011 से 29.11.2012 तक चेकिंग स्टाफ में कार्य करता रहा । परन्तु प्रार्थी ने जब अपना नया कृत्रिम पैर उच्च कोटि का बनवाने की प्रार्थना की तो शिकायतकर्ता को चिकित्सा परीक्षा में विकोटीकृत कर दिया गया । शिकायतकर्ता को वाणिज्य लिपिक ग्रेड पे 2000/— में समाहित किया

.....2/—

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली—110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in

जा रहा था जिससे प्रार्थी को आर्थिक एवं निम्न ग्रेड पे पर पद अवनती का मानसिक कष्ट प्रभावित हो रहा है जबकि उसे अपना वर्तमान ग्रेड पे 2400/– रूपए मिलकर ही समायोजित किया जाना था, जो नहीं किया गया । अतः निवेदन है कि कर्मचारी के विकोटीकृत होने पर उसे उसी विभाग व समान वेतनमान में पदस्थ करने के नियमानुसार 2400/– रूपए ग्रेड पे में पदस्थ करने हेतु आदेश निर्गत करने का कष्ट करे ।

3. मामले में सुनवाई दिनांक 22.12.2016 को निर्धारित की गई। दिनांक 22.12.2016 को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में लिखित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि .प्रतिवादी की सूचना दिनांक 20.12.2013 के अनुसार शिकायतकर्ता को वाणिज्य लिपिक के पद पर ग्रेड वेतन 2000/– रूपए में समाहित किया जा रहा है जिससे उसे आर्थिक एवं निम्न ग्रेड वेतन पर पद अवनति का मानसिक कष्ट प्रभावित हो रहा है । जबकि उसे अपने वर्तमान ग्रेड वेतन 2400/– रूपए में ही समायोजित किया जाना चाहिए जोकि नहीं किया जा रहा है । अतः प्रार्थना है कि उसे विकोटीकृत होने के पश्चात् उसी विभाग व समान वेतन व वेतनमान तथा समस्त सेवा संबंधी हित लाभ सहित 2400/– रूपए ग्रेड पे में पदस्थ करने की कृपा करें ।

4. प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कांत सुनवाई समाप्त होने के पश्चात् न्यायालय में उपस्थित हुए और निवेदन किया कि उन्हें इस मामले में उपस्थित होने के लिए प्रतिवादी की ओर से आज ही फाइल प्राप्त हुई है । प्रतिवादी की ओर से उत्तर फाइल करने के लिए उन्हें समय प्रदान किया जाए ।

5. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 के अनुसार –

(1) कोई स्थापन ऐसे कर्मचारी को, जो सेवा के दौरान निःशक्त हो जाता है, सेवोन्मुक्त या पंक्तिच्युत नहीं करेगाः

परन्तु यदि कोई कर्मचारी निःशक्त हो जाने के पश्चात् उस पद के लिए जिसको वह धारण करता है, उपयुक्त नहीं रह जाता है तो उसे, उसी वेतनमान और सेवा संबंधी फायदों वाले किसी अन्य पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा,

परन्तु यह और कि यदि किसी कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव नहीं है तो उसे समुचित पद उपलब्ध होने तक या उसके द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो सभी पूर्वतर हो, किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकेगा ।

....3/–

(2) किसी व्यक्ति को, केवल उसकी निःशक्तता के आधार पर प्रोन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा,

परन्तु यह कि समुचित सरकार, किसी स्थापन में किए जा रहे कार्य के प्रकार को ध्यान मे रखते हुए, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो ऐसी अधिसूचना में विहित की जाएं, किसी स्थापन को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगी ।

6. शिकायतकर्ता को सुनने तथा मामले से संबंधित अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 47 तथा कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन और सरकारी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए शिकायतकर्ता के वर्तमान वेतनमान और सेवा संबंधी फायदो में निःशक्तता के आधार पर कोई कटौती न की जाए तथा प्रोन्नति से वंचित न रखा जाए ।

7. मामले का तदनुसार निपटारा किया गया ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन